प्रेस नोट दिनाँक-22.09.2020

(1). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अंकित मित्तल द्वारा दिनाँक 21.09.2020 की रात्रि में थाना कोतवाली कर्वी के विवेचकों का अर्दली रुम किया गया। महोदय द्वारा अर्दली रूम में विवेचनाओं की समीक्षा की गयी एवं विवेचकों से विवेचना की प्रगति के बारे में जानकारी ली तथा उनके शीघ्र निस्तारण हेतु आवश्यक निर्देश दिये गये। महोदय द्वारा वर्ष 2019 एवं 06 माह से अधिक समय से लम्बित विवेचाओं को लम्बित रखने का कारण पूछते हुये शीघ्र निस्तारण हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये। सभी विवेचाओं को निर्देशित किया गया कि निर्धारित समय पर विवेचाओं का निस्तारण करें अन्यथा कार्यवाही हेतु तैयार रहें। वांछित की गिरफ्तारी हेतु विशेष अभियान चलाने हेतु निर्देशित किया गया। इस अर्दली रुम के दौरान हल्का प्रभारियों को निर्देशित किया गया कि हल्का के टॉप-10, मफरुर, हिस्ट्रीसीटर, गैंगेस्टर, अभयस्त एवं सक्रीय अपराधियों के सम्बन्ध में सम्पूर्ण जानकारी रखें तथा उनके क्रिया कलापों पर भी कड़ी नजर रखें। थाना कोतवाली कर्वी में नियुक्त समस्त उपनिरीक्षकों को पैरवी हेतु चिन्हित अभियोगों के सम्बन्ध में जानकारी करते हुये सही ढ़ंग से पैरवी करने हेतु निर्देशित किया गया। उच्चाधिकारियों एवं आईजीआरएस से प्राप्त लम्बित प्रार्थना-पत्रों का निस्तारण हेतु निर्देशित किया गया।

अर्दली रुम के दौरान क्षेत्राधिकारी नगर श्री रजनीश कुमार यादव, प्रभारी निरीक्षक कोतवाली कर्वी श्री जयशंकर सिंह, वाचक श्री शिवबदन सिंह तथा थाना कोतवाली कर्वी के विवेचकगण उपस्थित रहे।

(2). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट के निर्देशन में अपराध पर अंकुश लगाने हेतु अपराधियों के विरुद्ध की जा रही कार्यवाही के क्रम में श्री जयशंकर सिंह प्रभारी निरीक्षक थाना कोतवाली कर्वी के मार्गदर्शन में उ0नि0 श्री आनन्द कुमार मिश्रा तथा उनकी टीम द्वारा अभियुक्त 1.यशवन्त यादव पुत्र यदुराज यादव निवासी द्वारिकापुरी जगदीशगंज 2.महेश कुमार केसरवानी पुत्र अशर्फीलाल निवासी पुरानी बाजारा धुस मैदान 3. नितिन पुत्र रमेशचन्द्र निवासी डाकखाना के पास पुरानी बाजार 4. अभय सिंह पुत्र जगदीश सिंह निवासी पुरानी कामदगिरी स्वीट हाउस के बगल वाली गली 5. शिवम केसरवानी पुत्र भोला प्रसाद केसरवानी निवासी शंकर बाजारा थाना कोतवाली कर्वी को ताश के पत्तों पर हारजीत की बाजी लगाकर जुआ खेलते हुये गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तों के कब्जे से मालफड़ 71400/- रुपये व 52 अदद ताश के पत्ते तथा जामातलाशी से 3600/- रुपये बरामद हुये। अभियुक्तों के विरुद्ध थाना कोतवालीक कर्वी में धारा 188/269 भादवि0 व 13 जुआ अधिनियम के अन्तर्गत मुकदमा पंजीकृत किया गया।

बरामदगीः-

मालफड़ 71400/- रुपये

जामातलाशी से 3600/- रुपये

52 अदद ताश के पत्ते

गिरफ्तारी करने वाली टीमः-

1. उ0नि0 श्री आनन्द कुमार मिश्रा थाना कोतवाली कर्वी
2. उ0नि0 श्री प्रवीण सिंह
3. उ0नि0 श्री वारिज
4. उ0नि0 श्री शिवकुमार यादव
5. आरक्षी प्रवीन
6. आरक्षी सतीश यादव
7. आरक्षी अंकित यादव

(3). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट के निर्देशन में अपराध पर अकुंश लगाने हेतु अपराधियों के विरुद्ध की जा रही कार्यावही के क्रम में प्रभारी निरीक्षक बहिलपुरवा श्री पंकज कुमार पाण्डेय द्वारा अभियुक्त 1. कुलदीप पुत्र सीताराम निवासी नौबस्ता 2. नीलू कुमार पुत्र रजउवा निवासी गदाखान 3. चुन्नू पुत्र बच्चन पटेल निवासी चौखड़ा थाना बहिलपुरवा चित्रकूट के विरुद्ध थाना बहिलपुरवा में धारा 03 यूपी0 गुण्डा एक्ट की कार्यावाही की गयी। इन अभियुक्तों द्वारा भोली-भाली जनता से मारपीट व गाली गलौज करते हैं तथा लड़कियों से छेड़खानी की जाती थी।

(4). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अंकित मित्तल के निर्देशन में टॉप-10,मफरुर,इनामिया,हिस्ट्रीसीटर अपराधियों की धरपकड़ हेतु चलाये जा रहे ऑपरेश क्लीन के क्रम में श्री सुभाषचन्द्र चौरसिया प्रभारी निरीक्षक मऊ के मार्गदर्शन में वरि0उ0नि0 श्री तपेश कुमार मिश्रा तथा उनकी टीम द्वारा टॉप-10 एवं हिस्ट्रीसीटर अपराधी मुन्ना केवट पुत्र धर्मपाल केवट निवासी भिटरिया थाना मऊ चित्रकूट को एक अदद तमंचा 315 बोर व 02 अदद कारतूस 315 बोर के साथ गिरफ्तार किया गया। शस्त्र बरामदगी के सम्बन्ध में अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध थाना मऊ में मु0अ0सं0 203/2020 में धारा 03/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया। यह अभियुक्त थाना मऊ का सक्रीय हिस्ट्रीसीटर अपराधी है इसके विरुद्ध थाना मऊ में हत्या, हत्या के प्रयास, लूट,चोरी, नकबजनी, शस्त्र अधिनियम, एनडीपीएस एक्ट, गुण्डा एवं गैंगेस्टर के लगभग 2 दर्जन मुकदमें पंजीकृत हैं।

बरामदगीः-

01 अदद तमंचा 315 बोर

02 अदद कारतूस 315 बोर

गिरफ्तारी करने वाली टीमः-

1. वरि0उ0नि0 श्री तपेश कुमार मिश्रा थाना मऊ
2. उ0नि0 श्री रामकृपाल
3. मुख्य आरक्षी राजबहादुर
4. आरक्षी संदीप उपाध्याय

(5). दिनांक 22.09.2020 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट के निर्देशन में सामाजिक रिश्तों को बचाने हेतु किये जा रहे प्रयासों के क्रम में पुलिस कार्यालय में स्थापित परिवार परामर्श केन्द्र द्वारा एक बार फिर पति पत्नी के आपसी झगड़े को समाप्त कराकर पति-पत्नी में सुलह कराते हुये शादी के अटूट बन्धन को टूटने से बचाया।

उल्लेखनीय है कि श्री शिवपूजन पुत्र रामसजीवन निवासी भैसोंधा थाना भरतकूप जनपद चित्रकूट द्वारा पुलिस अधीक्षक महोदय के समक्ष प्रार्थना पत्र दिया गया कि उसकी पत्नी रश्मी मिश्रा लड़ाई झगड़ा करके अपने मायके चली गयी है, जहां पर लेने जाने पर मेरे ससुर व साले मेरे साथ गाली गलौच कर पत्नी को भेज नही रहे है । पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा प्रार्थना पत्र के निस्तारण हेतु पुलिस कार्यालय स्थित परिवार परामर्श केन्द्र निर्देशित किया गया । परिवार परामर्श केन्द्र प्रभारी उ0नि0 श्री बैजनाथ सिंह, मुख्य आरक्षी अरुण कुमार तथा महिला आरक्षी मंजूलता पाल द्वारा श्री शिवपूजन की शिकायतों को विस्तारपूर्वक सुनकर समझकर, पत्नी रश्मी मिश्रा से सम्पर्क करके उन्हें पुलिस अधीक्षक कार्यालय बुलाया गया तथा दोनों पक्षों को समझाया गया । दोनों पक्षों ने विवाद न करने की बात कही। दोनों पक्षों में आपसी सुलह होने पर पुलिस द्वारा दोनों को साथ-साथ आपस में सामन्जस्य बिठाकर एवं पति-पत्नी के कर्तव्यों को सही प्रकार से निर्वहन करने हेतु सलाह दी गयी तथा यह भी कहा गया कि आपस में तारतम्यता बनाकर कर रहें।

(6). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अंकित मित्तल द्वारा थाना राजापुर में कोविड-19 हेल्प डेस्क का निरीक्षण कर नियुक्त महिलाकर्मी को निर्देश दिये कि थाना परिसर में आने वाले सभी लोगों का टेम्प्रेचर नापें तथा उनका नाम पता रजिस्टर में अंकित करें । महोदय द्वारा थाना कार्यालय में रजिस्टर नं0 04, भूमि-भवन रजिस्टर एवं अन्य रजिस्टरों का अवलोकन कर अद्याविधिक रखने हेतु एवं सीसीटीएनएस कार्यालय का निरीक्षण कर आवश्यक निर्देश दिये ।

इसके पश्चात महोदय द्वारा थाना राजापुर के विवेचकों का अर्दली रुम किया गया । महोदय द्वारा अर्दली रूम में विवेचनाओं की समीक्षा की गयी एवं विवेचकों से विवेचना की प्रगति के बारे में जानकारी ली तथा उनके शीघ्र निस्तारण हेतु आवश्यक निर्देश दिये गये। महोदय द्वारा वर्ष 2019 एवं आंशिक रूप से लम्बित विवेचाओं को लम्बित रखने का कारण पूछते हुये शीघ्र निस्तारण हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये। सभी विवेचाओं को निर्देशित किया गया कि निर्धारित समय पर विवेचाओं का निस्तारण करें अन्यथा कार्यवाही हेतु तैयार रहें। समस्त उपनिरीक्षकों को पैरवी हेतु चिन्हित अभियोगों के सम्बन्ध में जानकारी करते हुये सही ढ़ंग से पैरवी करने हेतु निर्देशित किया गया। उच्चाधिकारियों एवं आईजीआरएस से प्राप्त लम्बित प्रार्थना-पत्रों का निस्तारण हेतु निर्देशित किया गया।

अर्दली रुम के दौरान प्रभारी निरीक्षक राजापुर श्री अनिल कुमार सिंह, वाचक श्री शिवबदन सिंह, श्री वीरेन्द्र त्रिपाठी पीआरओ0 एवं थाना राजापुर के विवेचकगण उपस्थित रहे।

(7). आज दिनाँक-22.09.2020 को श्री प्रकाश स्वरूप पाण्डेय अपर पुलिस अधीक्षक चित्रकूट महोदय द्वारा थाना मानिकपुर का आकस्मिक निरीक्षण किया गया । निरीक्षण के दौरान महोदय द्वारा थाना कार्यालय में रजिस्टर नं-04, शस्त्र रजिस्टर एवं अन्य रजिस्टरों का अवलोकन कर अद्यावधिक रखने हेतु निर्देश दिये । महोदय द्वारा बैरक,आवासीय भवन, भोजनालय, शौचालय का निरीक्षण कर प्रभारी निरीक्षक थाना मानिकपुर को निर्देश दिये कि जर्जर हो चुकी बैरक में कोई भी पुलिस कर्मी न रहे एवं थाना परिसर में साफ-सफाई हेतु निर्देश दिये ।

(8). आज दिनाँक-22.09.2020 को श्री प्रकाश स्वरूप पाण्डेय अपर पुलिस अधीक्षक चित्रकूट महोदय द्वारा थाना मारकुण्डी का आकस्मिक निरीक्षण किया गया । निरीक्षण के दौरान महोदय कोविड-19 हेल्प डेस्क में आगन्तुक रजिस्टर का अवलोकन कर नियुक्त महिला पुलिसकर्मी को निर्देश दिये दिये कि थाना परसर में आने वाले समस्त लोगों का तापमान चेकर कर नाम पता मोबाइल नम्बर अवश्य नोट करें । महोदय द्वारा थाना कार्यालय में रजिस्टरों का अवलोकन कर अद्यावधिक रखने हेतु निर्देश दिये । महोदय द्वारा बैरक,आवासीय भवन, भोजनालय, शौचालय का निरीक्षण कर साफ-सफाई हेतु निर्देश दिये गये ।